बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या– स0 क0 स्था0 10–28 / 2008 3639 पटना, दिनांक – 22.8.15

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन **बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग** के गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार बाल विकास सेवा नियमावली, 2015

अध्याय–I

प्रारंभिक।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।**– (1) यह नियमावली "बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ ।– इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो**

(i) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट समाज कल्याण विभाग;

(iv) "राजस्व पर्षद" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व पर्षद;

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(vi) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का समेकित बाल विकास संवर्ग;

(vii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार समेकित बाल विकास संवर्ग में इस नियमावली के उपबंधों के अधीन नियुक्त एवं पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत व्यक्ति;

(viii) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप से गठित समिति;

(ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(x) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;

(xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

(xii) "अधीनस्थ सेवा" से अभिप्रेत है सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संवर्ग के कर्मी;

3. सेवा का गठन।–

(1) इस नियमावली के निम्नलिखित पदों पर नियमित रूप में विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में शामिल होंगे–

क्र0	**पदनाम**
1.	**2.**
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
2	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सहायक निदेशक
3.	उप निदेशक
4.	संयुक्त निदेशक

सेवा के विभिन्न पदों का वेतनमान एवं उनकी संख्या वही होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(2) यह सेवा राज्य स्तरीय सेवा होगी और समाज कल्याण विभाग के अधीन होगी।

(3) इस संवर्ग की संरचना/पदों की संख्या इत्यादि की समीक्षा निम्नलिखित रूप से गठित समिति आवश्यकतानुसार करेगी एवं राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेज सकेगी:–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग –अध्यक्ष;

(ii) निदेशक, आई0सी0डी0एस0 –सदस्य;

(iii) वित्त विभाग द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी –सदस्य;

(iv) समाज कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत समेकित बाल विकास संवर्ग के उप निदेशक से अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी –सदस्य;

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मनोनीत अनु0जाति/जनजाति पदाधिकारी –सदस्य;

(vi) समाज कल्याण विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी –सदस्य सचिव;

(4) संवर्गीय पदों पर संवर्गीय पदाधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे, परन्तु सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार गैर संवर्गीय पदाधिकारियों को भी संवर्गीय पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

अध्याय–II

नियुक्ति

4. **नियुक्ति।**– (1) इस सेवा की "मूल कोटि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी" के 75 प्रतिशत पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति द्वारा तथा 25 प्रतिशत पद अधीनस्थ सेवा में से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे।
(2) सेवा के सभी पदों पर पुरूष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकेगी।
(3) नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा अधिसूचित आरक्षण के प्रावधान इस सेवा में लागू होंगे।

5. **सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया।**– **(1) उम्र सीमा**–सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

(2) शैक्षणिक योग्यता – इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होगी। सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा विशिष्ट परीक्षा अथवा स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के वैकल्पिक विषयों में से निम्नलिखित विषयों में से कम–से–कम एक विषय लेना अनिवार्य होगा– (क) गृह विज्ञान (ख) मनोविज्ञान (ग) समाजशास्त्र (घ) श्रम एवं समाज कल्याण।
(3) लिखित परीक्षा– आयोग अपनी विहित प्रकिया के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगा।
(4) साक्षात्कार– लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोग अपनी विहित प्रकिया के अन्तर्गत लेगा।
(5) चिकित्सा परीक्षा– आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।
(6) विषय, पाठ्यक्रम तथा अंकों का निर्धारण– लिखित परीक्षा के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं उनके लिए अंकों का निर्धारण तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण आयोग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जायेगा।
(7) रिक्तियों की गणना एवं आयोग को इसकी सूचना– प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक विभाग उस वर्ष "बिहार बाल विकास सेवा" में सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रैल तक प्रेषित करेगा।

(8) नियुक्ति– आयोग संयुक्त अथवा पृथक रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर विहित प्रकिया अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा मेधा एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध विभाग को करेगा।

6. अधीनस्थ सेवा से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया। –

(1) अधीनस्थ सेवा के सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद पर सेवा में कार्यरत एवं सम्पुष्ट पदाधिकारियों में से वरीयता–सह–अर्हता के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

(2) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु कर्मियों द्वारा सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि पूर्ण करना तथा निरंतर एवं संतोषप्रद सेवा आवश्यक होगी।

(3) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति–सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में से बिहार बाल विकास सेवा सम्वर्ग की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रोन्नति समिति के गठन तथा अन्य संबंधित प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

अध्याय–III
वरीयता, सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति

7. वरीयता।– (1) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

(2) एक सम्व्यवहार में प्रोन्नति से नियुक्त बेसिक ग्रेड के कर्मियों के बीच की आपसी वरीयता अधीनस्थ सेवा में उनकी आपसी वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जायेगी।

(3) किसी वर्ष में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों के बीच की आपसी वरीयता का निर्धारण – किसी वर्ष में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त कर्मी उस वर्ष सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।

(4) किसी विवाद की स्थिति में सदस्यों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

8. परिवीक्षा अवधि।– **(1)** मूल कोटि के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाले प्रत्येक पदाधिकारी (प्रोन्नत पदाधिकारी को छोड़कर) पदग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगाः–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारियों के लिएः–

(1) संस्थागत प्रशिक्षण–एक माह

(2) बिपार्ड द्वारा प्रशिक्षण–तीन माह

(3) कोषागार प्रशिक्षण–एक माह

(4) जिला प्रोग्राम कार्यालय में प्रशिक्षण–एक माह

(5) ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में स्वतंत्र प्रभार–एक माह

(6) महिला पर्यवेक्षिका के रूप में स्वतंत्र प्रभार–एक माह

(7) बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षण (सहायक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार) –एक माह

(8) बाल विकास परियोजना कार्यालय का स्वतंत्र प्रभार–तीन माह

परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो विभाग उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगा परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ायी गयी अवधि में भी किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ख) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के लिएः–

(1) संस्थागत प्रशिक्षण–एक माह

(2) बिपार्ड द्वारा प्रशिक्षण–तीन माह

(3) कोषागार प्रशिक्षण–एक माह

(4) जिला प्रोग्राम कार्यालय में प्रशिक्षण–एक माह

(3) इस सम्वर्ग में नियुक्ति के बाद प्रथम वेतनवृद्धि के पश्चात अगली वेतनवृद्धि तभी मिलेगी जब राजस्व पर्षद के केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित निम्नांकित विषयों की परीक्षा में उच्च श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों के लिए यथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित) के साथ उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय एवं कोषागार प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिया जाय–

(क) हिन्दी (लिखित)

(ख) हिन्दी साक्षात्कार

(ग) लेखा (पुस्तक सहित)

(घ) लेखा (पुस्तक रहित)

(ड.) उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त सरकार/विभाग द्वारा विनिश्चित संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

9. सम्पुष्टि (इस सम्वर्ग में प्रोन्नत व्यक्ति को छोड़कर)।– परिवीक्ष्यमान रूप में नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(i) विभाग द्वारा प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण एवं कोषागार प्रशिक्षण का राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा सम्पुष्ट होना।

(ii) परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्टि किया जाय, यदि वह निर्धारित मापदंड एवं विभागीय परीक्षा तथा कम्प्युटर प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण हो।

(iii) समय–समय पर विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के उपरान्त यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो।

(iv) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो।

10. प्रोन्नति।–

इस सेवा के द्वितीय पद सोपान एवं उसके ऊपर के सभी पद सोपानों पर नियुक्ति नीचे के पद सोपानों के पदाधिकारियों में से वरीयता–सह–अर्हता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की जायेगी।

11. विहित कालावधि।– इस सेवा के विभिन्न पद सोपानों/पदों पर प्रोन्नति हेतु योग्य होने के लिए पदाधिकारियों द्वारा निचले पद सोपान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित न्यूनतम कालावधि पूरी करना एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12. विभागीय प्रोन्नति समिति।– इस सेवा अन्तर्गत विभिन्न पद सोपानों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–IV

प्रकीर्ण/अन्यान्य

13. प्रशिक्षण।– (1) इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर या विदेश में राज्य सरकार द्वारा भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

(2) इस सेवा संवर्ग (बेसिक ग्रेड) के पदाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात नियम–8 (2) के अनुसार परीक्ष्यमान अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित जॉब प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य होगा।

14. वेतन।– विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान वही होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जायेगा या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी का वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

15. सेवा अवधि।– इस सम्वर्ग में नियुक्त पदाधिकारी की सेवा अवधि यथा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित अथवा परियोजना की समाप्ति अथवा संचालन अवधि तक, जो पहले हो, होगी।

16. अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।– संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

17. अवशिष्ट मामले।– जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहीं है उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/निदेश में किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे।

18. कठिनाइयों/शंकाओं का निराकरण।– इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित विसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति ।– (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित सभी नियमावली/संकल्प/आदेश एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व की नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, मानों यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/8/15

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28/2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28 / 2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः सदस्य, राजस्व प्रर्षद / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28 / 2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार पटना / निदेशक, समाज कल्याण, बिहार पटना / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : स0क0स्था010–28 / 2008 3639 पटना, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

22/8/15

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।